[25/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2526]

(7)

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा बजट सत्र 2026
द्वारा :- विधायक श्री आतिफ आरिफ़ अकील ।
तारांकित प्रश्न क्र.- 2526

मध्यप्रदेश में अपराधों से संबंधित विशेष अधिनियम जिनमें पुलिस संज्ञान लेकर कार्यवाही करने में सक्षम है अप्रासंगिक नहीं हैं।

(1) डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 -- मध्यप्रदेश में डकैती की समस्या को नियंत्रण में लाने हेतु मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रावधान बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। मध्यप्रदेश की सीमावर्ती राज्यों से उनके डकैत गैंग एवं पशु चोरी में लिप्त डकैत गैंगों का मूवमेंट बना रहता है, जिनके विरुद्ध सतत कार्यवाही करते रहने की आवश्यकता रहती है। सीमावर्ती राज्यों के डकैत गैंगों द्वारा मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अस्थाई रूप से आश्रयदाताओं एवं सहयोगियों को तैयार किया जाता है, जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। डकैती प्रभावित जिलों के दुर्गम एवं वन क्षेत्रों में पत्थर की खदानें संचालित रहती हैं, जिनसे जुड़े व्यवसायियों के साथ डकैतों द्वारा वारदात का प्रयास करने की संभावना रहती है। उक्त कारणों से डकैती नियंत्रण कार्यवाही लगातार करते रहने की आवश्यकता रहती है।

प्रदेश के सीमावर्ती भाग की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं क्षेत्र के असूचीबद्ध डकैत गिरोहों पर सतत नियंत्रण के लिए मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 काफी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश अंतर्राज्यीय दस्यु गिरोहों की शरणस्थली न बन सके। इस कारण भी उक्त अधिनियम पूर्णतः प्रासंगिक है।

(2) नक्सल समस्या से संबंधित कानून -- वामपंथी उग्रवाद की आंतरिक सुरक्षा की समस्या से निपटने ले लिए कोई पृथक/विशिष्ट कानून राज्य में प्रचलित नहीं है । वामपंथी उग्रवाद संबंधी मामलों में परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय कानूनों के तहत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाती है। मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सूचना अधिनियम, 2000 राज्य शासन द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को अधिघोषित करने पर ही वहां प्रवृत्त किया जा सकता है अतः यह किसी आंतरिक सुरक्षा समस्या को रोकने के लिए एक कारगर एवं प्रासंगिक विधि है।

(3) मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 -- समय समय पर थानों में ऋण दाताओं द्वारा ऋणि से ब्याज की राशि वसूलने के लिए जान से मारने की धमकी देने, भयभीत करने एवं दबाव डालने की रिपोर्ट प्राप्त होती है। जिसके कारण मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है अतः यह अधिनियम पूर्णतः प्रासंगिक है।

वर्ष 2022 में 05 अप्रासंगिक अधिनियम का निरसन किया गया है, जिसके अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

अवर सचिव / अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
भोपाल

11/02/21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(8)

परिशिष्ट "ब "

(1) राज्य के सीमांत जिले शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया एवं राजस्थान के धौलापुरा से स्थानीय दस्यु गिरोहों की आवाजाही जिले में कतिपय बनी रहती है। इनपर नियंत्रण रखने हेतु मामलों को पंजीबद्ध किया जाता है। किसी प्रकार के फर्जी मामले नहीं बनाए जाते हैं।

(2) मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत नक्सलियों की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) व इसके अग्र संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संगठन के सशस्त्र केडर सक्रिय नहीं हैं। इन प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन में गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर इस अधिनियम अथवा मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस द्वारा वामपंथी उग्रवाद व उनके समर्थकों के विरुद्ध कोई फर्जी मामले नहीं बनाए जा रहे हैं।

16/8/21

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner